न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर (21)

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 312/दो/2005 – विरूद्ध – आदेश दिनांक – 16–12–2004– पारित द्वारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण नम्बर 35/1999–2000 अपील

रामवीर पुत्र जगन्नाथ ठाकुर , ग्राम चन्दहंस का पुरा
गौजा अधाहेड़ा तहसील पोरसा जिला मुरैना, म0प्र0 ----आवेदकगण

विरूद्ध

1– सुरेश सिंह पुत्र लोटन सिंह
2– राजवीर सिंह 3– रामनरेश
4– रमेश सिंह 5– श्रीमती रामप्यारी
पत्नि लोटन सिंह निवासी ग्राम विण्डला
तहसील पोरसा जिला मुरैना मध्य प्रदेश ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0शर्मा)
(अनावेदक क्र–1 के विरूद्ध पूर्व से एकपक्षीय)
(अनावेदकगण क्र. 2 से 5 के अभिभाषक श्री कुँअरसिंह कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक 8 – 11 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण नम्बर 35/1999–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–12–2004 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम विण्डवा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 460 रकबा 3 बीघा के हिस्सा 1/2 भाग की महिला द्रौपती भूमिस्वामी थी जो बेओलाद मरी। रामवीर सिंह पुत्र जगन्नाथ ने गोदनामा के आधार पर चतुर्थ अपर न्यायाधीश मुरैना के समक्ष व्यवहार अपील प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 31 ए/88 ई0दी0 में पारित आदेश दिनांक 18-11-89 से रामवीर सिंह को दत्तक पुत्र मानकर निराकृत हुई। इसके विरूद्व जवान सिंह एंव राजेन्द्र सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ ग्वालियर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिसमें राजीनामे के आधार पर उक्तांकित भूमि 1/2 भाग पर पक्षकारों के बीच विभाजित होने का राजानामा स्वीकार हुआ।। तहसील न्यायालय में उक्त पर से प्रकरण क्रमांक 81/1991-92 अ-6 पंजीबद्व होकर आदेश दिनांक 21-7-92 से नामांत्रण किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण के प्रचलित रहा, किन्तु राजस्व निरीक्षक ने ग्राम की नामांतरण पंजी के सरल क्रमांक 6 पर आदेश दिनांक 6-10-91 से उक्त भूमि पर नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के समक्ष अपील क्रमांक 72/91-92 प्रस्तुत हुई जिसमें पारित आदेश दिनांक 27-3-93 से राजस्व निरीक्षक का आदेश 6-10-91 निरस्त करते हुये मान.उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नामांत्रण करने के निर्देश दिये गये। राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 6-10-91 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष एक अन्य अपील क्र. 114/91-92 भी प्रस्तुत हुई, जो आदेश दिनांक 9-5-95 से स्वीकार कर तहसील न्यायालय को निर्देश दिये गये कि पूर्व अपील में

पारित आदेश दिनांक 27-3-93 के अनुसार पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर पुर्नआदेश पारित किया जाय।

अनुविभागीय अधिकारी के उक्तादेश के विरूद्व अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 132/98-99 प्रस्तुत हुई , जिसमें पारित आदेश दिनांक 20-10-99 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 9-5-95 निरस्त कर दिया गया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 35/99-2000 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 16-12-2004 से अपर कलेक्टर मुरैना का आदेश दिनांक 20-10-99 निरस्त किया गया तथा प्रकरण मान0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश के विपरीत होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब प्रकरण में यह तथ्य मौजूद है कि माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ ग्वालियर में विचारित हुई द्वितीय अपील में पक्षकारों के बीच राजीनामे के आधार पर निर्णय हुआ है तथा वाद विचारित भूमि 1/2 भाग पर पक्षकारों के बीच विभाजित होने का राजीनामा स्वीकार हुआ, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी एंव पालनीय है जिसके कम में मात्र अभिलेख संशोधन की कार्यवाही राजस्व न्यायालय को करना है इसके

बाद भी अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9-5-1995 को निरस्त करना उचित नहीं माना जा सकता, जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण नम्बर 35/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-12-2004 से अपर कलेक्टर मुरैना के त्रुटिपूर्ण आदेश को ठीक ही निरस्त किया है तथा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुक्रम में पक्षकारों को सुनकर नामान्तरण आदेश पारित करने हेतु तहसील न्यायालय को भेजने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है, जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण नम्बर 35/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-12-2004 हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया गया है

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी बलहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-12-04 विधि अनुरूप होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर